भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 873
दिनांक 29.11.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग

873. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:
श्रीमती भारती पारधी:
श्री अरविंद गणपत सावंत:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग अपने विकास में वृद्धि करने में चुनौतियों का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या उक्त क्षेत्र के विकास में वृद्धि करने हेतु चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग केन्द्र सरकार से विनिर्माण को बढ़ाने और आयात को कम करने के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना हेतु अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र को उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन देने हेतु क्या कार्रवाई की गई है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) एवं (ख): भारत में रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जो बढ़ती घरेलू मांग, सरकार की पहल और विदेशी निवेश जैसे कारकों से प्रेरित है। 6.29% की वर्तमान सीएजीआर (वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के आधार पर) के अनुसार, 2023-24 में रसायन क्षेत्र का बाजार 185 बिलियन डॉलर (15,52,421 करोड़ रुपये) होने का अनुमान है। 'मेक इन इंडिया' पर ध्यान केंद्रित करने वाली विभिन्न सरकारी पहलों में विकास को और तेज करने की क्षमता है।

(ग) एवं (घ): सरकार इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है जैसे:

- रसायन और पेट्रोरसायन विभाग (डीसीपीसी) पेट्रोरसायन की नई योजना की अंब्रेला योजना के तहत प्लास्टिक पार्कों की स्थापना के लिए योजना को लागू करता है। यह योजना आवश्यक अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे और सक्षम सामान्य सुविधाओं के साथ जरूरत आधारित प्लास्टिक पार्कों की स्थापना को बढ़ावा देती है। इसका उद्देश्य डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग की क्षमताओं को समेकित और समन्वित करना है ताकि इस क्षेत्र में निवेश, उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार पैदा करने में मदद मिल सके। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब तक 10 प्लास्टिक पार्कों को मंजूरी दी गई है और ये कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

- रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र में नए मोलेक्यूल और प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए अनुसंधान और विकास प्रयासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग ने पेट्रोरसायन की एक नई योजना तैयार की है, जिसमें उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की एक उप-योजना शामिल है। इस योजना का उद्देश्य मौजूदा प्रौद्योगिकी में सुधार और पॉलिमर, रसायन और प्लास्टिक के नए अनुप्रयोगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों को अनुदान सहायता प्रदान करना है। इस योजना का जोर मौजूदा विनिर्माण प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण और उन्नयन के साथ-साथ उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार पर है। इस योजना के तहत अब तक 18 उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी दी गई है।

- भारत सरकार ने पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्रों (पीसीपीआईआर) में निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन के लिए पीसीपीआईआर नीति, 2007 को अधिसूचित किया है। पीसीपीआईआर बड़े पैमाने पर एकीकृत और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्रों को बढ़ावा देते हैं। पीसीपीआईआर की अवधारणा क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के साथ उच्च श्रेणी के सामान्य बुनियादी ढांचे और सहायता सेवाओं के साथ की गई है ताकि व्यवसाय स्थापित करने के लिए अनुकूल प्रतिस्पर्धी माहौल प्रदान किया जा सके। वर्तमान में इन क्षेत्रों में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश (विशाखापत्तनम), गुजरात (दाहेज) और ओडिशा (पारादीप) राज्यों में तीन पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इन पीसीपीआईआर ने पेट्रोलियम, रसायन, पेट्रोरसायन और सहायक उद्योगों में 2.6 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है और 3.7 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजित किए हैं।

(ङ) एवं (च) : जी हां, महोदय, रसायन एवं पेट्रोरसायन क्षेत्र को उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) देने का अनुरोध उद्योग से प्राप्त हुआ है। उचित विश्लेषण एवं विचार-विमर्श के पश्चात इस पर निर्णय लिया जाएगा।

*****